प्रेषक,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

अति महत्वपूर्ण/समयबद्ध

सेवा में,

समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक (नाम से),
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–मा0शि0प0/केन्द्रस्थापना/सोलह/ 320 दिनांक 30-10-19

विषयः वर्ष 2020 की परीक्षाओं के परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु विद्यालयों की आधारभूत सूचनाओं को वेबसाइट पर अपडेट करते हुए उन्हें अन्तिम रूप देने एवं परिषद को सबमिट करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ज्ञातव्य है कि शासनादेश सं0 1514/पन्द्रह–7–2019–1(31)/2019, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7, लखनऊ दिनांक 13 सितम्बर, 2019 द्वारा वर्ष 2020 के परीक्षा केन्द्र निर्धारण के निमित्त विद्यालयो के भौतिक संसाधन युक्त मूलभूत सुचनाओं/आकडों को अर्थात उनकी आधारभूत सूचनाओं को परिषद की वेबसाइट पर अंतिम रुप से प्रमाणित/अपडेट करने की अंतिम तिथि 31–10–2019 निर्धारित की गयी है।

दिनांक 26–10–2019 तक आप द्वारा अपडेट की गयी सूचनाओं के विश्लेषण निम्नांकित स्थिति प्रकाश में आयी है–

1– अधिकांश विद्यालयों में राउटर एवं हाईस्पीड ब्राडबैंड कनेक्शन नहीं लगे है। विशेषकर राजकीय एवं सवित्त विद्यालयों में जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाना है, उनमें इन्हें वरीयता के अनुसार लगवाया जाना अपेक्षित है।

2– अग्निशमन यंत्रो की सूचना के अंतर्गत विसंगतियॉ हैं– उदाहरणार्थ अग्निशमन यंत्र तो लगा है परन्तु उसके नवीनीकरण की तिथि अंकित नही हैं। दूसरी ओर नवीनीकरण की तिथि आदि अंकित है परन्तु अग्निशमन यंत्रों के न होने की सूचना अंकित की गयी है। इस विसंगति को अविलम्ब ठीक कराया जाय।

3– शिक्षण कक्षों की माप जो मीटर में है उसके अंकन में त्रुटियॉं है। कतिपय विद्यालयों के शिक्षण कक्षों की माप मानक से बहुत कम अंकित है अथवा बहुत अधिक अंकित की गयी है जिन्हे जॉंचकर अविलम्ब शुद्ध कराया जाय।

4– शिक्षण कक्षों की संख्या के अन्तर्गत शासनादेशानुसार केवल लिंटर्ड शिक्षण कक्षो की संख्या ही अंकित की जानी है। जिसमें प्रयोगशाला कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, वैकल्पिक कक्ष, प्रधानाचार्य कक्ष आदि सम्मिलित नही होगें। इस आशय के निर्देश वेबसाइट पर भी दिये गये है। इसके बावजूद कतिपय विद्यालयों द्वारा इस प्रकार के कक्षों को शिक्षण कक्षों के अन्तर्गत दर्शाया गया है। इसकी जॉंच कर लें। यदि ये वास्तव में शिक्षण कक्ष ही है तब इन पर कोई कार्यवाही नही करनी है, अन्यथा की स्थिति में इनको छोड़कर शिक्षण कक्षों की वास्तविक संख्या अंकित की जाय। शिक्षण कक्षों की कुल संख्या के अकन में कोई विसंगति का विरोधाभास न हो, इस हेतु आपकी जानकारी के लिये गत वर्ष आप द्वारा सत्यापित की गयी, विद्यालयवार शिक्षण कक्षों की संख्या भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गयी है।

5– शिक्षण कक्षों की सूचना के अन्तर्गत यह भी निर्देश है कि एक ही कैम्पस में एक ही प्रबन्धक के अन्य शिक्षण बोर्डो यथा CBSE/CISCE की संस्थायें संचालित है तब उस स्थिति में किसी भी दशा में इन अन्य बोर्डों के शिक्षण कक्षों को इसमें सम्मिलित नही किया जायेगा। कतिपय विद्यालयों के जियोलोकेशन अभी भी अपलोड नही किये गये हैं। इसके साथ ही कतिपय विद्यालयों के जियोलोकेशन त्रुटिपूर्ण (विद्यालय के प्रांगण से इतर सूदूर किसी अन्य स्थान से) अपलोड किये गये है। जिससे इनके 0 से 5 , 5 से 10, 10 से 15 किमी की परिधि के विद्यालयों की दूरियॉं अत्यधिक प्रदर्शित हो रही है। अतः इस प्रकार के सभी विद्यालयों को अविलम्ब निर्देशित कर दें कि वे विद्यालय के प्रांगण से अपनी जियोलोकेशन पुनः अपलोड करायें।

6– कतिपय विद्यालयों ने अपने चारों ओर के 0 से 5, 5 से 10, तथा 10 से 15 किमी की परिधि में त्रुटिवश कतिपय ऐसे विद्यालयों के कोड अंकित कर दिये हैं जो सम्बन्धित विद्यालय से वास्तव मे अत्यधिक दूर हैं। इस प्रकार के त्रुटिपूर्ण अंकित विद्यालयों के कोड्स की पूरी सतर्कता से जॉंच कर उन्हे अविलम्ब डिलीट करा दिया जाय। जिससे किसी भी विद्यालय का परीक्षा केन्द्र मानक दूरियों से इतर दूर निर्धारित न हो सके।

7– परीक्षा केन्द्र निर्धारण की अनिवार्य शर्तो के अन्तर्गत प्रबन्धकीय विवाद न होने, बाउन्ड्रीवाल होने, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय न होने, विद्यालय दो भागों में निर्मित न होने, विद्यालय के उपर कोई हाई–टेन्शन वायर न होने आदि से सम्बन्धित विविध सूचनाओं की जॉंच पुनः कर ली जाय। अन्यथा स्थिति में त्रुटिपूर्ण सूचना के कारण केन्द्र निर्धारण नीति के आलोक में सम्बन्धित विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनने से वंचित होने पर इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

उपर्युक्त समस्त प्रकार की त्रुटियों से सम्बन्धित सूचनाये वेबसाइट पर आपके पैनल पर उपलब्ध करा दी गयी है। इसके साथ ही आपकों ईमेल के माध्यम से भी प्रेषित की जा चुकी है। इस प्रेषित त्रुटियों/सूचनाओं की पूर्ण गहनता एवं सतर्कता से जाँच कराते हुए आधारभूत सूचनाओं की समस्त प्रकार की त्रुटियों/विसंगतियों का निवारण अन्तिम निर्धारित तिथि 31–10–2019 तक अवश्य करा लिया जाय। जिससे वर्ष 2020 की परीक्षाओं हेतु शासन की निर्धारित केन्द्र निर्धारण नीति की आलोक में पूर्ण पारदर्शिता के साथ परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण पूर्ण शुद्धता के साथ कराया जा सके।

भवदीय

(नीना श्रीवास्तव)
सचिव

पृ0सं0मा0शि0प0/केन्द्रस्थापना/सोलह/3204. दिनांक 30-10-19

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, प्रमुख सचिव,(मा0शिक्षा) उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7, सचिवालय लखनऊ।

2– वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति, मा0शि0प0, उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड लखनऊ।

3– **समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने जनपद से सम्बन्धित सभी विद्यालयों की वांछित सूचनाओं को त्रुटिरहित परिषद की वेबसाइट पर अन्तिम रूप से सबमिट कराते हुए अपलोड/अपडेट कराया जाना सुनिश्चित करें।

4– अपर सचिव, मा0शि0प0,क्षे0का0, मेरठ/बरेली/प्रयागराज/वाराणसी/गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित है कि अपने परिक्षेत्र के जनपदों से वांछित सूचनायें अपडेट/अपलोड कराये जाने की कार्यवाही का प्रभावी अनुश्रवण करते हुए अपडेशन की स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

30.10.19

(नीना श्रीवास्तव)
सचिव